



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-19062026-273612
CG-AS-E-19062026-273612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3008]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3008]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर सीमा रेल (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मालीगाँव, 15 जून, 2026

का.आ. 3129(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात्कि लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अणुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के जिला जलपाईगुडी में विशेष रेल परियोजना “अलुआबारी रोड - न्यू जलपाईगुडी तीसरी एवं चौथी बी.जी. लाईन” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचलन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संबंधित जिला मजिस्ट्रेट जलपाईगुडी, को उनके कार्यालय में, कार्यालय समय में लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधार बताए जाएंगे, और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को

व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के बाद, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपयुक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मौजावार भूमि अनुसूची							
क्र. संख्या	जिले का नाम	पुलिस स्टेशन का नाम	मौजा का नाम	जे.एल. संख्या.	एल.आर. प्लॉट संख्या.	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (एकड़)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	जलपाईगुड़ी	न्यू जलपाईगुड़ी	डाबग्राम	2	57	0.0008	0.00034
					58	0.1364	0.05520
					59	0.1016	0.04110
					60	0.0059	0.00240
					116	0.4890	0.19790
					127	0.3959	0.16020
					130	0.2506	0.10140
					174	0.0062	0.00250
जलपाईगुड़ी जिले का कुल क्षेत्रफल (करीब)						1.3864	0.56104

[फा. सं. W/207/CON/NJP/LAND/AUB-NJP (3rd & 4th Line)]

संजीव कुमार, मुख्य अभियन्ता / (निर्माण) / एन.जे.पी. प्रोजेक्ट

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northeast Frontier Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Maligaon, the 15th June, 2026

S.O. 3129(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway Amendment Act, 2008, the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed here to, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely "**Aluabari Road –New Jalpaiguri 3rd & 4th B.G. Line**" in the **district of Jalpaiguri in the State of West Bengal** hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of 30 (thirty) days, from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the respective Competent Authority, viz. **District Magistrate Jalpaiguri** at his office, in office hours in writing and shall set out the grounds there of, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final in this regard.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid offices of the Competent Authority.

Mouza wise Schedule of Land							
Sl. No.	Name of District	Name of Police Station	Name of Mouza	J.L. No.	L.R. Plot No.	Area to be Acquired (Acre)	Area to be Acquired (Hectare)
1	JALPAIGURI	NEW JALPAIGURI	DABGRAM SHEET NO 193	2	57	0.0008	0.00034
					58	0.1364	0.0552
					59	0.1016	0.0411
					60	0.0059	0.0024
					116	0.489	0.1979
					127	0.3959	0.1602
					130	0.2506	0.1014
					174	0.0062	0.0025
TOTAL AREA IN JALPAIGURI DISTRICT (MORE OR LESS)						1.3864	0.56104

[F. No. W/207/CON/NJP/LAND/AUB-NJP (3rd & 4th Line)]
SANJEEV KUMAR, Chief Engineer/ (Con) /NJP Project